A-6

64/101 I7450/4 (131) A-6 131

भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये

रु. 100

Rs. 100

ONE HUNDRED RUPEES

सत्यमेव जयते

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

TRY. LKO.
कोषागार लखनऊ द्वारा जारी
[illegible]
कोषाधिकारी
... नगर लखनऊ
TRY. LKO.

::- पट्टे का नवीनीकरण विलेख -::

कुतुबपुर इरादतनगर गृह योजना

यह अनुबन्ध वर्ष, 2006 के दिसम्बर मास के 02 वें दिन को लखनऊ विकास प्राधिकरण 6 जगदीश चन्द्र बोस मार्ग, लखनऊ द्वारा प्रभारी [illegible] सम्पत्ति प्रथम पक्ष ॥ जिसे यहाँ आगे पट्टादाता कहा गया है ॥ [illegible] कुमार दीक्षित आयु लगभग 53 वर्ष पुत्र स्व. श्री शिवप्रसाद दीक्षित निवासी 221, निराला नगर, लखनऊ द्वितीय पक्ष ॥ जिसे यहाँ आगे पट्टेदार [illegible] है ॥ के मध्य किया जा रहा है।

क्रमशः--2

Sandeep Dikshit

Sandeep Dikshit

प्रभारी अधिकारी (सम्पत्ति)
लखनऊ विकास प्राधिकरण
लखनऊ

यह कि भूखण्ड संख्या सी-221 स्थित कुतुबपुर इरादतनगर गृह योजना जिसका विवरण नीचे अनुसूची में दिया गया है, दिनांक 17.1.68 से तीस वर्षों के पट्टे पर दिया गया था, जिसमें यह भी शर्त थी कि लीज रेण्ट में 50% की वृद्धि करके तीस वर्षों की अवधि के दो नवीनीकरण और देय होगें, उक्त भूखण्ड के पट्टे की तीस वर्षों की अवधि दिनांक 16.1.98 को समाप्त हो गयी है। द्वितीय पक्ष जो वर्तमान समय में उक्त भूखण्ड के पट्टेदार है, ने भूखण्ड के पट्टे को आगे की अवधि के लिये नवीनीकरण हेतु आवेदन किया है तथा इस मद में नियमानुसार अपेक्षित धनराशि जमा करने के लिये भी सहमति दी थी।

यह कि उत्तर प्रदेश शासन ने राजाज्ञा संख्या 6795/11-5-80-नि/86, दिनांक 23.10.86 के द्वारा यह आदेश दिये है कि ऐसे आवंटी जिनकी लीज आदि में 60 वर्ष या कम की अवधि शेष रह गयी है वें रा[illegible] मूल्य का 7% धन जमा करके और ऐसे आवंटी जिनकी लीज के तीस वर्ष या कम की अवधि शेष रह गयी है वें रजिस्टर्ड मूल्य का 5% धन जमा करके शेष अवधि का पूर्ण भुगतान कर सकते हैं इसके बाद उन्हें उक्त अवधि के लिये अन्य कोई धन लीजरेण्ट मद में नही जमा करना होगा।

यह कि विकास प्राधिकरण की भी यह नीति है कि चालू तीस वर्षों की शेष अवधि के लिये अनुपातिक धनराशि जमा कराकर पूर्ण भुगतान माना जायेगा।

क्रमशः---3

Sandeep Dikshit

Sandeep Dikshit

Sandeep Dikshit

Sandeep Dikshit

2/12/2006

प्रभारी अधिकारी (सम्पत्ति)
लखनऊ विकास प्राधिकरण
लखनऊ

उक्त भूखण्ड का पट्टा दिनांक 17.1.1968 से दियागया था इस प्रकार इसके चालू तीस वर्षो में अभी xx वर्ष शेष हैं तत्पश्चात् 60 वर्षो की अवधि और बचेगी । द्वितीय पक्ष ने चालू तीस वर्षो के शेष xx वर्ष के लिये रू.xx तथा अगले 60 वर्षो के लिये रजिस्टर्ड मूल्य का 7% धन रू.491.40 पैसे [redacted] प्राधिकरण कोष में रसीद/चालान संख्या 23439/82 दिनांक 5.6.06 द्वारा जमा कर दिया । अतएव यह नवीनीकरण अनुबन्ध निम्न शर्तो के साथ किया जा रहा है :-

1. यह कि पट्टेदार को दिनांक 16-01-2058 तक लीजरेण्ट मद में कोई धन देना शेष नही रह गया है ।
2. यह नवीनीकरण अनुबन्ध दिनांक 17-01-98 से 30 वर्षो हेतु किया जा रहा है ।
3. यह कि इस नवीनीकरण अनुबन्ध से मूल पट्टे की शर्तो एवं अवधि पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नही पड़ेगा । मूल पट्टे अवधि एवं शर्ते यथावत् लागू रहेंगी ।
4. यह कि इस नवीनीकरण एवं लीजरेण्ट के अग्रिम भुगतान से पट्टेदार की स्थिति में कोई परिवर्तन न होगा । पट्टेदार मूल पट्टे की शर्तो का पालन करते हुए केवल पट्टेदारी अधिकारों के उपभोग का अधिकारी होगा ।

क्रमशः----4

प्रभारी अधिकारी (सम्पत्ति)
लखनऊ विकास प्राधिकरण
लखनऊ

पट्टा विलेख (30 वर्ष)

प्रतिफल	मालियत	ओसत वार्षिक किराया	फीस रजिस्ट्री	नकल व प्रति शुल्क	योग	शब्द लगभग
491.00			20.00	20	40.00	900

श्री /श्रीमती प्रदीप कुमार दीक्षित

पुत्र / पत्नी श्री स्व. शिव प्रसाद दीक्षित

पेशा नौकरी

निवासी स्थायी सी-221,निरालानगर लखनऊ

अस्थायी पता उक्त

ने यह लेखपत्र इस कार्यालय दिनांक 28/12/2006 समय 12:31PM

बजे निबन्धन हेतु पेश किया।

एस.के. सिंह
उप निबन्धक (तृतीय)
लखनऊ
28/12/2006

निष्पादन लेखपत्र वाद सुनने व समझने मजमून व प्राप्त धनराशि रू. प्रलेखानुसार उक्त

पट्टा दाता

इस बात से संतुष्ट हो जाने पर कि इस लेखपत्र का निष्पादन
श्री शीतला पाल सिंह
ने अपने पद के अधिकार से किया है इसलिये उनकी उपस्थिति
और हस्ताक्षरों की आवश्यकता नहीं है, और लेखपत्र
रजिस्टीकरण के लिए स्वीकार किया गया।

पट्टा गृहीता

श्री/श्रीमती प्रदीप कुमार दीक्षित
पुत्र/पत्नी श्री स्व. शिव प्रसाद दीक्षित
पेशा नौकरी
निवासी सी-221,निरालानगर लखनऊ

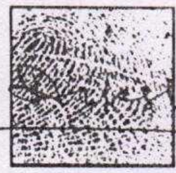

ने निष्पादन स्वीकार किया ।

जिनकी पहचान श्री अरूण कुमार सक्सेना
पुत्र श्री योजना सहायक
पेशा नौकरी
निवासी ल. वि.प्रा. लखनऊ

व श्री दिनेश चन्द्र भट्ट
पुत्र श्री स्व. चन्द्र नारायण भट्ट
पेशा नौकरी
निवासी 3/8 राजकीय कालोनी सें.-ओ.अलीगंज लखनऊ
ने की ।

प्रत्यक्षतः भद्र साक्षियों के निशान अंगूठे नियमानुसार लिये गये हैं।

एस.के. सिंह
उप निबन्धक (तृतीय)
लखनऊ
28/12/2006

5. यह कि भूखण्ड एवं उस पर निर्मित भवन पर समय-समय पर लागू किसी भी प्रकार के करों, परिव्ययों तथा भागों के भुगतान का दायित्व यथावत् पट्टेदार का बना रहेगा ।

6. यह कि मूल पट्टे की किसी भी शर्त का उल्लंघन होने पर अथवा पट्टे की अवधि समाप्त होने पर पट्टादाता को मूल पट्टे की शर्तों के अनुसार पुनः प्रवेश का अधिकार बना रहेगा ।

इस विलेख के साक्ष्य में प्रथम पक्ष पट्टादाता की ओर से प्रभारी अधिकारी सम्पत्ति श्री शीतला पाल सिंह, लखनऊ विकास प्राधिकरण, लखनऊ ने एवं द्वितीय पक्ष श्री प्रदीप कुमार दीक्षित ने अपने

क्रमशः--5

21/12/2004

प्रभारी अधिकारी (सम्पत्ति)
लखनऊ विकास प्राधिकरण
लखनऊ

Pradeep Dikshit
Pradeep Dikshit

पट्टा दाता

Registration No 7436 Year : 2006 Book No. 1

0101 शीतला पाल सिंह

सूर्य बक्श पाल सिंह

प्रभारी अधिकारी सम्पत्ति ल.वि.प्रा. लखनऊ

नौकरी

हस्ताक्षर किये है ।

अनुसूची :

भूखण्ड संख्या : सी–221

योजना : कुतुबपुर इरादतनगर गृह

क्षेत्रफल : 3120 वर्गफुट

प्रभारी अधिकारी, (अर्जन)
लखनऊ विकास प्राधिकरण
लखनऊ

§ पट्टादाता §

चौहद्दी :

उत्तर : रोड

दक्षिण : पार्ट आफ भूखण्ड संख्या सी–209 व सी–208

पूरब : भूखण्ड संख्या सी–220

पश्चिम : भूखण्ड संख्या सी–222

§ पट्टेदार §

1. गवाह :---- ------------

पता :– लखनऊ विकास प्राधिकरण, लखनऊ ।

2. गवाह : Delmatt Delmatt दिव्यांचल भट्ट

पता 3/8 राजकीय कालोनी सम्राट कार्ट अलीगंज

लखनऊ

तैयारकर्ता

टाईपिस्ट.

पट्टा गृहीता

Registration No. 7436 Year : 2006 Book No. 1

0201 प्रदीप कुमार दीक्षित

स्व. शिव प्रसाद दीक्षित

सी-221,निरालानगर लखनऊ

नौकरी

रजिस्ट्रेशन अधिनियम-1908 की धारा 32-ए, के अनुपालन हेतु फिंगर्स प्रिन्टर्स

प्रस्तुतकर्ता/विक्रेता का नाम व पता :- शीतलापाल सिंह

बायें हाथ के अंगुलियों के चिन्ह :-

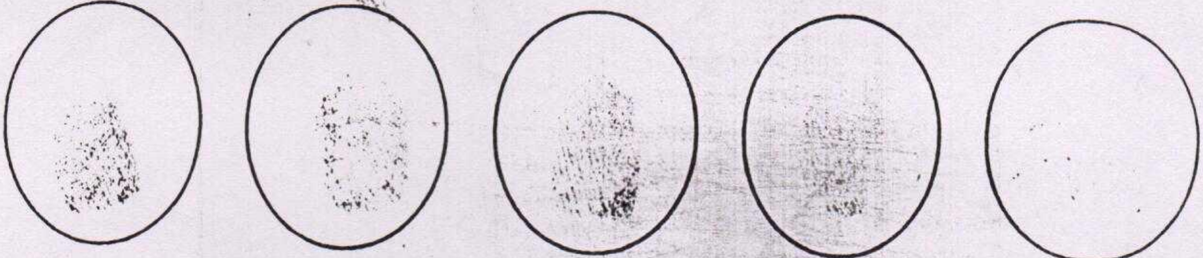

दाहिने हाथ के अंगुलियों के चिन्ह :-

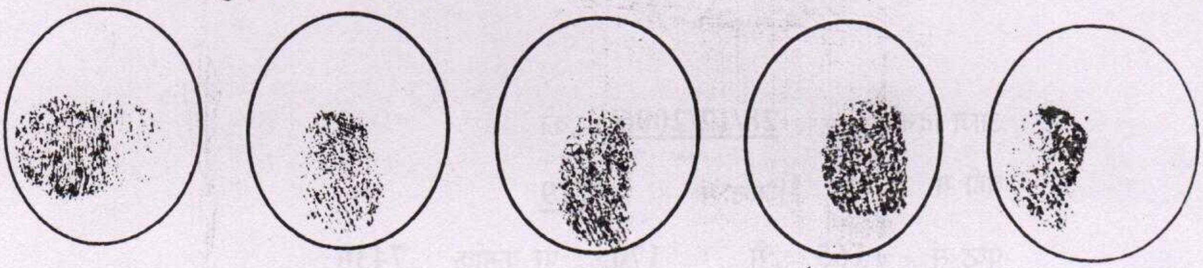

प्रस्तुतकर्ता/विक्रेता/~~क्रेता~~ के हस्ताक्षर

~~विक्रेता~~/क्रेता का नाम व पता :- श्री प्रदीप कुमार दीक्षित C-221, निरालानगर लखनऊ

(पट्टेदार)

बायें हाथ के अंगुलियों के चिन्ह :-

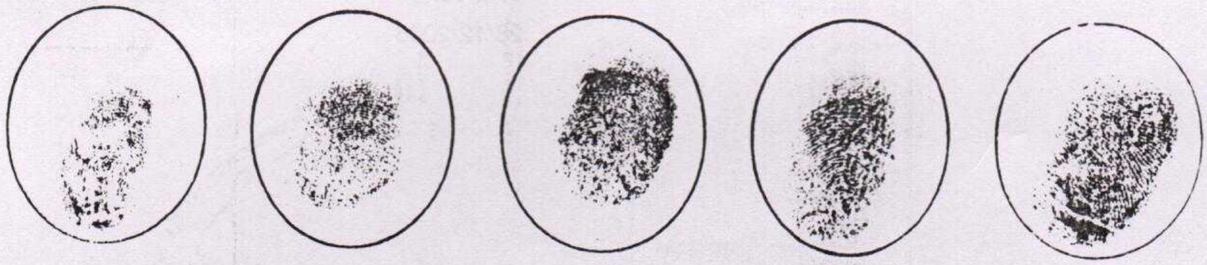

दाहिने हाथ के अंगुलियों के चिन्ह :-

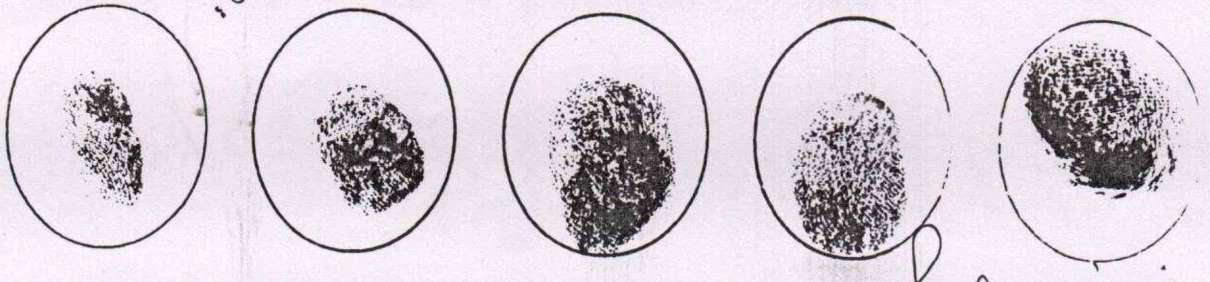

~~विक्रेता~~/क्रेता के हस्ताक्षर

142

आज दिनांक 28/12/2006 को
वही सं 1 जिल्द सं 5719
पृष्ठ सं. 165 से 176 पर कमांक 7436
रजिस्ट्रीकृत किया गया ।

एस.के. सिंह
उप निबन्धक (तृतीय)
लखनऊ
28/12/2006